

निगम 4140/2018/रीवा/भू 20

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



मृतक रामकली एवं मृतक राम प्रसाद शुक्ल के विधिक वारिसान-

1. रमेश शुक्ला तनय रामप्रसाद शुक्ला उम्र 48 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम बरबाह, तहसील हूजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. नरेश कुमार शुक्ला तनय श्री रामप्रसाद शुक्ला उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बरबाह, तहसील हूजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. चन्द्रमणि शुक्ला तनय श्री रामप्रसाद शुक्ला उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम बरबाह, तहसील हूजूर जिला रीवा (म0प्र0)
4. बेबा दुर्गावती शुक्ला पत्नी दिनेश शुक्ला उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम बरबाह, तहसील हूजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

झालखण्ड सिंह तनय श्री रामनिहोर सिंह निवासी ग्राम पैपखरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

..... गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क. 1293/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05/05/2018
पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 सन् 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित है-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/05/2018 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि गैरपुनरीक्षणकर्तागण ने विचारण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त वनकुइयां, तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 05/05/2018 में पारित आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

88

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/4140/18/भू0रा0/रीवा

रमेश बनाम झालखण्डसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-07-18 रीवा कैम्प	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री जवाहरलाल दुबे उपस्थित हुए। प्रकरण में उन्हें कायमी पर सुना गया। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्रहय किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p> सदस्य</p>	

